दिनांक 16 सितम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/एफडी/34-86/33904.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० हैन लैहमैन इण्डिया लि० प्लाट नं० 10, सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक अनुबन्ध "ए" मार्फत महा सचिव, लेहमैन इम्पलाईज यूनियन, जी-162, इन्द्रानगर, सैक्टर 7, फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद का विवादग्रस्त को उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या अनुबन्ध "ए" में दर्शाये गये श्रमिकों की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, वह किस राहत के हकदार हैं ?

अनुबन्ध "ए"

1. श्री रामआसरे विश्वकर्मा, सुपुत्र श्री राम प्रीत,
2. श्री अखमल अलीखान, सुपुत्र श्री जफरअली खां,
3. श्री सुरेन्श चन्द्र, सुपुत्र श्री मनीराम,
4. श्री सत्या राम, सुपुत्र श्री छोटेलाल,

मार्फत महासचिव लेहमैन इम्पलाईज यूनियन, जी-162, इन्द्रानगर, सैक्टर-7, फरीदाबाद।

दिनांक 8 सितम्बर, 1986

सं. ओ. वि. रोहतक/61-86/3233—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल, रोहतक के श्रमिक श्री कृष्ण, पुत्र श्री सूरज भान, मकान नं. 40/32, शूगर मिल कालोनी, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम, 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :--

क्या श्री कृष्ण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. हिसार/49-86/32840.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, चण्डीगढ़, (2) हरियाणा राज्य माईनर सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, फतैहबाद, हिसार के श्रमिक श्री रणसिंह मार्फत मजदूर एकता यूनियन, नागोरी गेट, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादाग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :--

क्या श्री रणसिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?